न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 39/2017 **दायरा दिनांक :08.03.2017**

उनवान

विमलेश चौधरी उर्फ कम्पी बाई उम्र 46 वर्ष पुत्री मृतक रघुवीर सिंह हाल पत्नी श्री जगवीर सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम नुनैरा, पो0 नगौडा थाना राया जिला मथुरा उत्तर प्रदेश

.... अपीलांट

बनाम

1— जितेन्द्र सिंह आयु 43 वर्ष पुत्र श्री मृतक रघुवीर सिंह, जाति जाट, निवासी कापडीखेडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2— तेजेन्द्रसिंह आयु 52 वर्ष पुत्र श्री मृतक रघुवीर सिंह, जाति जाट, निवासी कापडीखेडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3— सतेन्द्रसिंह आयु 48 वर्ष पुत्र श्री मृतक रघुवीर सिंह, जाति जाट, निवासी कापडीखेडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

4— श्रीमती नन्दूबाई उर्फ आनन्दी बाई आयु 74 वर्ष विधवा मृतक श्री रघुवीर सिंह, जाति जाट, निवासी कापडीखेडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

5— कमलेश चौधरी उर्फ कल्लो बाई आयु 50 वर्ष पुत्री मृतक रघुवीर सिंह हाल पत्नी श्री जसवीर सिंह, जाति जाट, निवासी जमुनाबिहार कालोनी लोहवन बगीची, बल्देवरोड थाना जमुनापार जिला मथुरा उत्तर प्रदेश

6— रेखा चौधरी आयु 44 वर्ष पुत्री मृतक रघुवीर सिंह हाल पत्नी श्री उदयवीर सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम व पोस्ट जटोई थाना मुडसान जिला हाथरत उत्तर प्रदेश

7— श्रीमती मीना चौधरी आयु 40 वर्ष पुत्री मृतक रघुवीर सिंह, जाति जाट हाल पत्नी इन्दर सिंह, निवासी गणेशखेडा, तहसील बारां

8— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 40/2017 **दायरा दिनांक : 08.03.2017**

उनवान

विमलेश चौधरी उर्फ कम्पी बाई उम्र 46 वर्ष पुत्री मृतक रघुवीर सिंह हाल पत्नी श्री जगवीर सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम नुनैरा, पो0 नगौडा थाना राया जिला मथुरा उत्तर प्रदेश

.... अपीलांट

बनाम

1— जितेन्द्र सिंह आयु 43 वर्ष पुत्र श्री मृतक रघुवीर सिंह, जाति जाट, निवासी कापडीखेडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2— तेजेन्द्रसिंह आयु 52 वर्ष पुत्र श्री मृतक रघुवीर सिंह, जाति जाट, निवासी कापडीखेडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3— सतेन्द्रसिंह आयु 48 वर्ष पुत्र श्री मृतक रघुवीर सिंह, जाति जाट, निवासी कापडीखेडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

4— श्रीमती नन्दूबाई उर्फ आनन्दी बाई आयु 74 वर्ष विधवा श्री मृतक रघुवीर सिंह, जाति जाट, निवासी कापडीखेडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

5— कमलेश चौधरी उर्फ कल्लो बाई आयु 50 वर्ष पुत्री मृतक रघुवीर सिंह हाल पत्नी श्री जसवीर सिंह, जाति जाट, निवासी जमुनाबिहार कालोनी लोहवन बगीची, बल्देवरोड थाना जमुनापार जिला मथुरा उत्तर प्रदेश

6— रेखा चौधरी आयु 44 वर्ष पुत्री मृतक रघुवीर सिंह हाल पत्नी श्री उदयवीर सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम व पोस्ट जटोई थाना मुडसान जिला हाथरत उत्तर प्रदेश

7– श्रीमती मीना चौधरी आयु 40 वर्ष पुत्री मृतक रघुवीर सिंह, जाति जाट हाल पत्नी इन्दर सिंह, निवासी गणेशखेडा, तहसील बारां

8– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओ पी मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 14.02.2018**

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 110/2011 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.06.2012 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 09.08.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पापेडेंट नम्बर 1 जितेन्द्र सिंह ने रेस्पोडेंट नम्बर 2, 3 व अपीलांट के पिता रघुवीर सिंह के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कापडीखेडा की आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 79 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 95 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा खसरा

नम्बर 96 रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 99/1 रकबा 59 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 105/174 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल 6 किता की 177 बीघा 1 बिस्वा स्थित है । राजस्व रेकार्ड में आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 जो कि वादी और प्रतिवादी नम्बर 2 और 3 के पिता हैं के खाते में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी चन्दू सिंह के खाते में दर्ज थी और चन्दू सिंह के फौत हो जाने पर प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते में दर्ज है । वादी का इसमें 1/4 हिस्सा निहित है अतः वादी का 1/4 हिस्सा पृथक किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.06.2012 को जारी की है और विभाजन की अंतिम डिक्री दिनांक 09.08.2012 को जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह दोनों अपीले पेश की गई है ।

अपील संख्या 39/2017 विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पेश की गई और यह कथन किया है कि निर्णय कानून के विपरीत एवं कपटपूर्ण है । इस प्रकरण में चारों पुत्रियां के हितबद्ध पक्षकार होने के तथ्य को छुपाकर निर्णय पारित किया गया है । वास्तविक वारिसान की जानकारी हेतु तहसीलदार किशनगंज को पत्र भी लिखा गया था । चारों जीवित पुत्रियों के तथ्यों को छुपाया गया । गलत रूप से शीघ्र सुनवायी कर निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट मृतक रघुवीर सिंह की पुत्री है इस कारण हितबद्ध पक्षकार है । अतः अपील पेश करने की अनुमति दी जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थिया के पिता के देहान्त के बाद हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील संख्या 40/2017 अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है और यह कथन किया गया है कि तथ्यों को छुपाकर निर्णय पारित किया गया है । अपीलांट एवं 3 अन्य पुत्रियां हितबद्ध पक्षकार है जिनको पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित किया गया है । वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का 1/8 हिस्सा है । अंतिम डिक्री भी प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट मृतक रघुवीर सिंह की पुत्री है इस कारण हितबद्ध पक्षकार है । अतः अपील पेश करने की अनुमति दी जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थिया के पिता के देहान्त के बाद हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट स्वर्गीय रघुवीर सिंह की पुत्री है इस कारण इस प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । रघुवीर सिंह की 4 पुत्रियां और 3 पुत्र हैं और उनकी मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी मौजूद है इस नाते वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक का 1/8 हिस्सा बनता है । गलत रूप से तथ्यों को छुपाकर प्रारम्भिक और अंतिम डिक्री जारी की गई है । अतः दोनों अपीले अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि दावा राजीनामे के आधार पर डिक्री किया गया । प्रत्येक पक्षकार को 1/4 हिस्से का सहखातेदार बनाया गया है दिनांक 13.06.2012 को प्रारम्भिक डिक्री हुई है और तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर अंतिम डिक्री जारी की गई है । अपीलें गम्भीर रूप से अवधि बाधित है । अतः दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.11.2010 के अनुसार पक्षकारान जिसमें वादी जितेन्द्र सिंह और प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3 ने राजीनामा पेश किया है और इसके अनुसार दिनांक 30.06.2012 को विभाजन की प्रारम्भिक जारी की गई है और तहसील से बंटवारा स्कीम प्राप्त कर विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है । पत्रावली पर जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनको एक्जीविट नहीं करवाया गया है । नकल जमाबंदी सम्वत 2065–68 के अनुसार वादग्रस्त आराजी रघुवीर सिंह के खाते में दर्ज है । इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज पत्रावली में सलंग्न नहीं है ।

अपील में अपीलांट के द्वारा एक फोटो प्रति तहसीलदार के पत्र की पेश की गई है जिसमें मृतक रधुवीर सिंह के वारिसों की सूचना सूचना के अधिकार के तहत दी गई है इसमें रघुवीर सिंह की मृत्यु की तारीख दिनांक 23.02.15 को होना बताया गया है और उनके वारिसान में उनकी पत्नी आनन्दी बाई के अलावा 3 पुत्र और 4 पुत्रियों का नाम अंकित किया गया है । एक नामान्तरकरण संख्या 1259 की फोटो प्रति भी पेश की गई है जिसमें रघुवीर सिंह के खाते की आराजी का नामान्तरकरण उनके 3 पुत्र, 4 पुत्रियों और विधवा के नाम खोला गया है । इस प्रकार अपीलांट के द्वारा जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उसके अनुसार अपीलांट मृतक रघुवीर सिंह की पुत्री है और पुत्री होने के नाते वो इस प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । अतः उनके द्वारा दोनों अपीलों में पेश किये गये धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं और उन्हें अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये दावे में वादिनी व रघुवीर सिंह की अन्य पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । अपीलांट प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार थी परन्तु उन्हें बिना पक्षकार बनाये दावा पेश किया गया है । अतः न्यायहित में उनके द्वारा दोनों अपीलों में पेश किये गये धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अपीलांट मृतक रघुवीर सिंह की पुत्री है व प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है वह उन्हें बिना पक्षकार बनाये दावा पेश किया गया है जो प्रारम्भिक डिक्री और अंतिम डिक्री जारी की गयी है । आवश्यक पक्षकारों के अभाव में किया गया राजीनामा एवं पारित की गई डिक्री विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 39/2017 एवं 40/2017 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारिम्भक डिक्री दिनांक 13.06.2012 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 09.08.2012 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक रघुवीर सिंह के समस्त विधिक वारिसों को पक्षकार बनाया जाये । उन्हें जवाबदेही का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा